राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 18 फरवरी, 2009/29 माघ, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 18 फरवरी, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवर्नमैंट बिल/1–9/2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) निरसन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज

दिनांक 18 फरवरी, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2009 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) निरसन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 13) का निरसन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) निरसन अधिनियम, 2009 है।

2005 के अधिनियम संख्यांक 13 का निरसन और व्यावृत्ति।

2. (1) हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) मूल अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा–

(क) मूल अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात, या

(ख) मूल अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) मूल अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा; और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो मूल अधिनियम निरसित न किया गया हो।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने, खेल संगमों के खेल क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने तथा विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और विनियमित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में 20—04—2005 को अधिनियमित किया गया था। भारतीय ओलोम्पिक संघ ऐसे विधान का पुरजोर विरोध करता आ रहा था और इसने राष्ट्रीय संघों (नेशनल फेडरेशन्ज) को, ऐसे राज्यों में, जिन्होंने ऐसा विधान लाया है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं न करवाए जाने हेतु आवश्यक निदेश जारी किए हैं तथा अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी भी टीम या खिलाड़ियों को संघ (फेडरेशन) द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश खेल परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत विभिन्न अन्य खेल संगमों ने भी उक्त अधिनियम को निरसित करने का अनुरोध किया है। इसलिए उपरोक्त अधिनियम को निरसित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख .... , 2009

————————

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) REPEAL Bill, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Repeal Act, 2009.

Repeal of Act No. 13 of 2005 and saving.

2. (1) The Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act) is hereby repealed.

(2) The repeal of the principal Act shall not affect—

(a) The previous operation of, or anything duly done or suffered under the principal Act, or

(b) Any right, privilege or obligation or liability acquired, accrued or incurred under the principal Act, or

(c) Any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence under the principal Act, or

(d) Any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced; and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the principal Act had not been repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 was enacted in the State of Himachal Pradesh on 20-4-2005, with a view to provide for Registration, Recognition and Regulation of Sports Associations, to facilitate and regulate the sports activities and affairs of the Sports Associations in the State of Himachal Pradesh and to provide for recognition and regulations of the right to represent the State of Himachal Pradesh. The Indian Olympic Association has been strongly opposing such legislation and has issued necessary directions to the National Federations not to allot National Championships to those States, that have brought such legislation and, any team or players registered under the Act will not be allowed by the Federation to participate in National/International championships. Various other Sports Associations registered with the Himachal Pradesh Sports Council have also requested to repeal the said Act. Thus, it has been decided to repeal the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PROF. PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :

THE …………….2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित